संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./2020/L09 भोपाल, दिनांक 12.02.2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

विषय :–**Novel Corona Virus (n-Cov)** की रोकथाम एवं नियत्रंण के संबंध में।

उपरोक्त विषयांर्गत लेख है कि हाल ही में चीन के हुबई राज्य के वुहान शहर में एक नये प्रकार का कोरोना वायरस (Novel corona virus 2019-nCoV) से निमोनिया के प्रकरण पाये गये है। चीन के अतिरिक्त 25 अन्य देश कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से प्रभावित हो चुके है। भारत में भी 3 प्रकरण की पुष्टि हो चुकि है।

- 15 जनवरी 2020 के बाद चीन से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना वायरस (Novel corona virus 2019-nCoV) का टेस्ट किया जावेगा।
- यात्रियों की दिन में 02 बार निगरानी की जाना है तथा 14 दिनों के लिए Quarantine किया जावेगा।
- 15 जनवरी 2020 के बाद चीन तथा प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरवाया जाए ।
- जिले के सभी चिकित्सीय संस्थाओं में कोरोना वायरस संबंधी पूर्व में प्रेषित प्रोटोकाल–गाईड लाईन के साथ Home Isolation की गाईड लाईन भी उपलब्ध कराई जावे।
- भर्ती मरीजों के लिए Director General of Health Services (DGHS) द्वारा तैयार डिस्चार्ज प्रोटोकाल के अनुरूप ही डिस्चार्ज किया जावे।

यदि मरीज को स्थानांतरित करना हो तो एम्बुलेंस के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन करें :–

- **अस्पताल के आगमन पर जहां से मरीज को स्थानांतरित किया जाना है**
  1. हाथ साफ करना (Sanitizer, gel)
  2. PPE kit पहनना, N95 मास्क लगाना, गॉग्लस का इस्तेमाल करना।
  3. जिस अस्पताल में मरीज को स्थानांतरित करना है उन्हें उसकी सूचना देवे।

निरंतर......

- **घर / अस्पताल सुविधा को छोड़ने से पहले**

    1. यात्री को N95 मास्क पहनने एवं cough etiquette & Respiratory Hygiene की सलाह देवें।
    2. संदिग्ध 2019 nCoV- मरीज को अन्य रोगियों के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए।

- **एम्बुलेंस में :–**

    1. मरीज को छुने के पहले दस्ताने बदल दे ओर नए दस्ताने पहन ले और बार–बार हाथ साफ करें।
    2. जहां तक संभव हो, एकल उपयोग या एकल रोगी चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करें।
    3. डिस्पोजेबल लिनन का उपयोग करें।
    4. एम्बुलेंस में, यदि ड्राइवर का चैम्बर अलग नहीं है, तो ड्राइवर को PPE का उपयोग करना चाहिए।

- **रेफरल अस्पताल पहुंचने पर**

    1. रोगी को एम्बुलेंस छोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि रोगी की उपचार की पर्याप्त व्यवस्था हो।
    2. मरीज को स्थानांतरित करने के बाद PPE निकाल दे।
    3. हाथ की सफाई करें।

- **एंबुलेंस को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले**

    1. **सफाई और डिसिन्फेक्शन के समय** PPE kit का इस्तेमाल करें।

       सतहों (स्ट्रेचर, कुर्सी, दरवाजे के हैंडल आदि) को नए सिरे से तैयार 1% हाइपोक्लोराइट घोल से साफ किया जाना चाहिए।

    2. **लाँड्री**

       लाँड्री बैग को अन्य बैग, जिसमें रीयूजेबल कम्बल रखें और उसे लेबल कर लाँड्री भेजे साथ ही कपड़े धोने वाले व्यक्ति को PPE kit पहनने के निर्देश दे।

    3. **कचरे का प्रबंधन**

       सभी मास्क और रक्त या शरीर के तरल पदार्थ से दूषित कोई भी कचरा पीले बैग में डाले।

निरंतर......

नोवेल कोरोना वायरस बीमारी की जानकारी आमजन को प्रचार–प्रसार के माध्यम से दी जावें एवं प्रभावित देशों से आ रहे यात्रियों की जानकारी पूर्व में प्रदाय किये गये प्रपत्रों में राज्य सर्विलेन्स इकाई के ईमेल idspssu@mp.gov.in पर प्रतिदिन भेजें।

संलग्न :– Guidelines for Infection Prevention Control for suspected cases of 2019 nCoV Acute Respiratory Disease

(डॉ.वीणा सिन्हा)
अतिरिक्त संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.
भोपाल, दिनांक......................

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./2020/

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुडा भवन भोपाल, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
4. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, समस्त सभांग, म.प्र.।
6. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
7. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी/एपिडिमियोलॉजिस्ट म.प्र.।

अतिरिक्त संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.